तादादी 26.71 हेक्टर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 की खातेदारी भूमि है रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि पर एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई जिसकी अवधि 29–09–17 तक थी। कानूनन रिकार्डेड खातेदार को नोटिस देकर, साक्ष्य व सबूत का अवसर देकर अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नैचुरल जस्टिस के सिद्वान्तों के विरूद्व जाकर आदेश जैर अपील पारित किया है। जो काबिल निरस्त है।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कहा कि जैर अपील आदेश अब प्रभाव में नहीं रहा है। इसलिए इस अपील का गुणावगुण पर निर्धारण नहीं हो सकता। अपील अब निष्प्रभावी हो चुकी है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, नोखा द्वारा दिनांक 24–11–2016 को अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया था, जिसकी अवधि दिनांक 29–09–2017 तक थी। इसलिए अपीलाधीन आदेश समाप्त हो चुका है। आज उक्त जैर अपील आदेश प्रभाव में नहीं है क्योंकि उसकी अवधि आगे नहीं बढ़ाई गई है। एसी स्थिति में यह अपील निष्फल हो चुकी है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा "बाबुलाल बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 2001(1) आरआरटी 01 में दिये गये दृष्टान्त के अनुसार यह प्रकरण मूल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा को इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि वे इस प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनकर नये सिरे से अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करें। उभय पक्षों को जरिये अभिभाषक निर्देश दिये जाते है कि वे उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के समक्ष दिनांक 06–11–2017 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

7. अपील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटया जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 4.10.17 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामावतार मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर